RAJ CABLE NETWORK

Date- 12/09/2019

प्रति

चेयरमैन सर
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया
जवाहरलाल नेहरु मार्ग
नई दिल्ली 110002

संदर्भ– टैरिफ संबंधी परामर्श पत्र संख्या 10/2019, दिनांक 16 अगस्त 2019 के संदर्भ में।

महोदय

विषयान्तर्गत निवेदन है कि जमीनी स्तर पर आठवें टैरिफ आर्डर लागू होने के पश्चात महात्वपूर्ण ब्राडकास्टरों द्वारा उपभोक्ताओं के लिए न केवल केबल टी वी को महंगा कर दिया गया, वरन आम उपभोक्ताओं को आठवें टैरिफ आर्डर का फायदा लेना भी असंभव हो गया है। जिसकी प्रमुख वजह किसी बुके पैकेज में सामिल चैनल्स के कुल मूल्य पर छूट की अधिकतम सीमा न होने के कारण ब्राडकास्टरों ने अनुचित तरीके से नाजायज फायदा उठाया है। अतः आठवें टैरिफ आर्डर के सफलता के लिए यह आवश्यक है कि इसे 15 प्रतिशत कैप के साथ लागू किया जाए, जिससे उपभोक्ताओं को जहां एक ओर केवल अपने पसंदीदा चैनल चुनने की छूट मिलेगी साथ ही उपभोक्ता सही मूल्य पर चैनलों को चुन सकेंगे।

जैसा कि आप जानते है कि केवल टी वी आम उपभोक्ताओं के लिए सूचना, स्वास्थ्य व शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने का एक मात्र साधन था । लेकिन बिना 15 प्रतिशत केपिंग को शामिल किए आठवें टैरिफ आर्डर को लागू करने से यह आम उपभोक्ताओं के लिए महंगा हो गया है। यदि आठवें टैरिफ आर्डर छूट की अधिकतम सीमा भी लागू की गई होती तो उपभोक्ताओ को उसी बजट में पहले से भी ज्यादा चैनल देखने की सुविधा उपलब्ध हो जाती।

आगे यह भी कहना है कि ब्राडकास्टरों द्वारा हम छोटे एम.एस.ओ को डी.पी.ओ के रुप में केवल 20 प्रतिशत की ही छूट दी जा रही है, ये 20 प्रतिशत ब्राडकास्टर से मिलने वाली छूट हमारे द्वारा 100 प्रतिशत अपने एल.सी.ओ को दिया जा रहा है, हमारा यह भी निवेदन है कि हमें मिलने वाली डी.पी.ओ फीस बहुत ही कम है इसे भी बढ़ाने पर विचार किया जाए।

Regd. Off:- Word No.-08 Near Taxi Stand Islamganj Post-Kotma, Distt.-Anuppur (M.P.) 484334
Mob.- 7879458991, Ph.- 07658-260273
Toll Free- 18002330200 , Email: raj.sahil7041@ gmail.com Website: www.rajcablenetwork.in

RAJ CABLE NETWORK

साथ ही हमारा यह भी कहना है कि नियामक द्वारा निश्चित किया एन.सी.एफ 130 रुपए वर्तमान में पूरी तरह उचित है नियामक से हमारा निवेदन है कि इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव न किया जाए।

महोदय हम प्राधिकरण का ध्यान सबसे महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहते है, जब कि इस विषय पर प्राधिकरण को स्वयं ही पूर्व में ध्यान देना था।

मान्यवर आठवें टैरिफ आर्डर के अनुसार जबकि ये पूर्व से ही निश्चित है कि कोई भी पे चैनल/एफ.टी.ए चैनल सभी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म के लिए समान रुप से पे चैनल/एफ.टी.ए चैनल रहेगें। इसके पश्चात भी कुछ ब्राडकास्टर्स द्वारा अपने कुछ पे चैनल को डी.टी.एच प्लेटफार्म (डी.डी.फ्री डिस) पर चलाने के बाद उनसे न तो चैनलों का भुगतान लिया जा रहा है बल्कि डी.डी.फ्री डिस पर स्लाट का भुगतान कर चैनलों को चलाया जा रहा है। जो कि नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है, किन्तु प्राधिकरण द्वारा अभी तक उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नही की गई है।

महोदय हमारी आपत्ति डी.डी.फ्री डिस पर उपलब्ध होने वाले चैनलों से उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभ पर नही है, हमारी आपत्ति केवल प्रसारको द्वारा डी.टी.एच. प्लेटफार्म (डी.डी.फ्री डिस) को फ्री में पे चैनल उपलब्ध कराने के साथ साथ चैनल चलाने के लिए स्लाट का भुगतान करने से है।

अतः हम प्राधिकरण से निवेदन करते है कि ऐसे प्रसारकों को यह आदेशित करें कि वह अपने उन चैनलों को जो डी.डी.फ्री डिस पर उपलब्ध है उन्हे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्लेटफार्म पर उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

आशा ही नही पूर्ण विश्वास है कि हमारे द्वारा सुझाए गए बिंदुओ पर अवश्य ही विचार किया जाएगा।

धन्यवाद

आपका
आबिद हुसैन
राज केबल नेटवर्क
जिला अनूपपुर (म.प्र.)
F.NO. 9/11/2015-DAS
Date- 28/06/2015

Regd. Off:- Word No.-08 Near Taxi Stand Islamganj Post-Kotma, Distt.-Anuppur (M.P.) 484334
Mob.- 7879458991, Ph.- 07658-260273
Toll Free- 18002330200 , Email: raj.sahil7041@ gmail.com Website: www.rajcablenetwork.in